"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जून 2016— ज्येष्ठ 27, शक 1938

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जून, 2016

अधिसूचना

क्रमांक 627/एफ 8–70/35/16.– पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का सं. 27) की धारा 43 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं केन्द्र सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार, एतद्द्वारा, चेक पोस्ट एवं संगरोध कैम्प में निरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ के पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण (चेक पोस्ट एवं संगरोध कैम्प में निरीक्षण प्रक्रिया) नियम, 2016 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का सं. 27);

   (ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

   (ग) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन।

   (2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जैसा कि अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

3. **चेक पोस्ट या संगरोध कैम्प में जांच की रीति एवं निरोध की अवधि.—** (1) यह सुनिश्चित करने हेतु कि क्या पशु, किसी अधिसूचित अनुसूचित रोगों से संक्रमित है, चेक पोस्ट में रोक कर रखे गये पशुओं या संगरोध कैम्प में निरूद्ध किये गये पशुओं की जांच, चेक पोस्ट या संगरोध कैम्प के प्रभारी अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत किया जायेगा, अर्थात्:—

(क) चलने की गति एवं चाल ढाल;

(ख) सुस्त, खिन्नचित्त, सामान्य अथवा उत्तेजित व्यवहार;

(ग) शरीर के तापक्रम में वृद्धि;

(घ) मुंह, पैर अथवा थन में अल्सर;

(ङ) अत्यधिक आंसू, नाक या प्रजनन नलिका से होने वाले स्त्राव;

(च) पसीने का आना और कंपकपाना;

(छ) त्वचा मे सूखापन, बाल रहित होना एवं त्वचा के खरोचें;

(ज) कमजोरी;

(झ) प्राकृतिक छिद्रों से होने वाला रक्त स्त्राव;

(ञ) पशु के गले के नीचे लटकी हुई खाल (गलकम्बल क्षेत्र) में या शरीर के किसी अन्य भाग में पानी भर जाना या सूजन आना।

(2) चेक पोस्ट एवं संगरोग कैम्प का प्रभारी अधिकारी, प्रयोगशाला परीक्षण, यदि अपेक्षित हो, के लिये आवश्यक नमूना संग्रहित करेगा।

(3) पशुओं की जांच, अनिवार्य टीकाकरण और पहचान/चिन्हांकन आदि के प्रयोजन से चेक पोस्ट का प्रभारी अधिकारी, 12 घण्टे से अनधिक अवधि के लिए पशुओं को निरूद्ध रख सकेगा। चेक पोस्ट में टीकाकरण किये गये प्रत्येक पशु के लिये, पशुओं के स्वामी को अधिनियम की धारा 9 के अनुसार टीकाकरण प्रमाणपत्र दिया जायेगा।

(4) पशुओं की जांच के पश्चात्, प्रभारी अधिकारी इन नियमों से यथा संलग्न प्ररूप क के अधीन प्रवेश अनुज्ञापत्र जारी करते हुए, या तो पशुओं को अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र या मुक्त क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान करेगा या संगरोध कैम्प में ऐसे पशुओं का अभिवहन करेगा।

(5) जांच करने के पश्चात्, यदि चेक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी यह पाता है कि कोई भी पशु, किसी अनुसूचित रोग से ग्रसित है तो ऐसे पशुओं को निरूद्ध किया जाएगा तथा अग्रिम कार्यवाही के लिए संबंधित संस्थान को संगरोध कैम्प के रूप में माना जाएगा।

(6) संगरोध कैम्प में, अधिकतम संगरोध अवधि 14 दिवस से अधिक नहीं होगी।

(7) चेक पोस्ट या संगरोध कैम्प में पशुओं की जांच, टीकाकरण एवं कर्ण छेदन अथवा कोई अन्य गतिविधि संबंधी व्यय, संचालक द्वारा समय—समय पर नियत किया जायेगा तथा उक्त व्यय का वहन पशुओं के स्वामी द्वारा किया जायेगा।

4. **अनुज्ञा प्रदान करने के लिये संगरोध कैम्प के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां.—** (1) संगरोध कैम्प का प्रभारी अधिकारी ऐसे पशुओं को निरूद्ध करेगा, जो कि :—

(एक) किसी अधिसूचित अनुसूचित रोगों से ग्रस्त हो; या

(दो) अधिसूचित अनुसूचित रोगों से संक्रमित पशुओं के सम्पर्क में आता हो या निकटस्थ रखे गये हों;

(2) संगरोध कैम्प का प्रभारी अधिकारी, इस प्रकार निरूद्ध पशुओं की कार्यालयीन पावती, जो कि इन नियमों से यथा संलग्न प्ररूप ख के अधीन जारी होगा, पशुओं के स्वामी को देगा।

(3) संगरोध के दौरान, पशुओं के कान छेद कर एक विशिष्ट नम्बर लगाया जायेगा। ऐसे पशुओं की जांच किसी अनुसूचित रोगों के लक्षण होने तक नियमित रूप से किया जायेगा। अनुसूचित रोगों के विरूद्ध उनका टीकाकरण किया जायेगा तथा टीकाकरण उपचार, यदि अपेक्षित हो, किया जायेगा। टीकाकरण होने पर, पशुओं के स्वामी को अधिनियम की धारा 9 के अनुसार टीकाकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

(4) संगरोध के दौरान पशुओं के रख–रखाव एवं टीकाकरण पर होने वाले व्यय की राशि का निर्धारण संचालक द्वारा समय–समय पर किया जायेगा तथा उक्त व्यय का वहन पशुओं के स्वामी द्वारा किया जायेगा।

(5) संगरोध सफल होने के पश्चात्, संगरोध कैम्प के प्रभारी अधिकारी, पशु के स्वामी को पशु सौंप देगा तथा इन नियमों से यथा संलग्न प्ररूप ग के अधीन संगरोध निर्मुक्त अनुज्ञापत्र अपने हस्ताक्षर के अधीन जारी करेगा जो अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रवेश अनुज्ञापत्र के रूप में कार्य करेगा।

5. **पशु के स्वामी का उत्तरदायित्व.–** (1) चैक पोस्ट या संगरोध कैम्प में पशुओं या पक्षियों को निरूद्ध करने के दौरान, पशु का स्वामी संबंधित प्राधिकारी को पशुओं के टीकाकरण, उपचार तथा देखभाल में सहायता करेगा और पशु चिकित्सक के दिये सलाह अनुसार अपने पशुओं के देखरेख हेतु उत्तरदायी होगा।

(2) चेक पोस्ट या संगरोध कैम्प में पशुओं को निरूद्ध करने के दौरान टीकाकरण, उपचार तथा देखभाल में हुए व्यय को पशु के स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।

6. **निधि.–** (1) शासन द्वारा प्रदान की गई निधि का उपयोग नियमों के क्रियान्वयन तथा शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संगरोध कैम्प के प्रबंधन हेतु किया जायेगा।

(2) पशुओं के रख–रखाव, टीकाकरण, पहचान चिन्ह या कोई अन्य पहचान की विधि के साथ कान में बिल्ला लगाने इत्यादि के लिये प्रभार के रूप में पशुओं के स्वामी से प्राप्त धनराशि, राज्य शासन के राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा की जायेगी।

7. **क्षेत्राधिकार.–** यदि इन नियमों के संबंध में, निर्वचन का कोई संदेह या प्रश्न उद्‌भूत होता है तो इस विषय को संचालक, पशुपालन, छत्तीसगढ़ शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

8. **निरसन एवं व्यावृत्ति.–** इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

प्ररूप क

पशुधन विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

प्रवेश अनुज्ञा पत्र
[देखिये नियम 3 (4)]

अनुज्ञा पत्र क्र. (विशिष्ट प्रमाणपत्र क्रमांक)..........

नीचे वर्णित समस्त पशुओं को (अधिसूचित अनुसूचित रोग का नाम) .... से मुक्त पाया गया है और आज दिन (तारीख) .... को उन्हें नियंत्रित/उन्मूलित क्षेत्र (क्षेत्र का नाम) .... में प्रवेश/से निर्गमन की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

चेक पोस्ट का विवरण			
स्थान			
पशु के स्वामी का विवरण			
पशु के स्वामी का नाम व पता			
पशुओं को कहां से लाया गया है			
पशुओं को कहां भेजा जाना है			
पशु का विवरण			
	पशु 1	पशु 2	पशु 3
पहचान संख्या			
प्रजाति			
नस्ल			
आयु			
लिंग			
रंग			
टीकाकरण प्रमाणपत्र क्र.			
प्रवेश अनुज्ञा पत्र जारी करने का विवरण			
जारी करने की तारीख		हस्ताक्षर	
जारी करने का स्थान		नाम	
		पदनाम	

प्ररूप ख

पशुधन विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

संगरोध कैम्प अभिरक्षा पावती
[देखिये नियम 4 (2)]

प्रमाणपत्र क्र. ....

नीचे वर्णित समस्त पशुओं को आज दिन.............................. को 14 दिवस की अवधि के लिए मेरे द्वारा अभिरक्षा में लिया गया है, अर्थात् :–

संगरोध कैम्प का विवरण			
स्थान			
पशु के स्वामी का विवरण			
पशु के स्वामी का नाम एवं पता			
पशुओं को कहां से लाया गया है			
पशुओं को कहां भेजा जाना है			
पशु का विवरण			
	पशु 1	पशु 2	पशु 3
पहचान संख्या			
प्रजाति			
नस्ल			
आयु			
रंग			
लिंग			
टीकाकरण प्रमाणपत्र क्र.			
संगरोध कैम्प से जारी अभिरक्षा पावती का विवरण			
जारी करने की तारीख		हस्ताक्षर	
जारी करने का स्थान		नाम	
		पदनाम	

प्ररूप ग

पशुधन विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

संगरोध निर्मुक्ति अनुज्ञा पत्र
[देखिये नियम 4 (5)]

अनुज्ञा पत्र क्र. ....
संगरोध कैम्प अभिरक्षा पावती क्र.– ....

नीचे वर्णित समस्त पशुओं को (अधिसूचित अनुसूचित रोग का नाम) ....से मुक्त पाया गया और आज दिन (दिनांक) .... को संगरोध कैम्प से निर्मुक्त किया गया तथा उन्हें नियंत्रित/उन्मूलित क्षेत्र में प्रवेश/से निर्गमन की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

संगरोध कैम्प का विवरण			
स्थान			
पशुओं का संगरोध कब से		पशुओं का संगरोध कब तक	
पशु के स्वामी का विवरण			
पशु के स्वामी का नाम एवं पता			
पशुओं को कहां से लाया गया है			
पशुओं को कहां भेजा जाना है			
पशु का विवरण			
	पशु 1	पशु 2	पशु 3
पहचान संख्या			
प्रजाति			
नस्ल			
आयु			
रंग			
लिंग			
टीकाकरण प्रमाणपत्र क्र.			
संगरोध निर्मुक्ति अनुज्ञापत्र जारी करने का विवरण			
जारी करने की तारीख		हस्ताक्षर	
जारी करने का स्थान		नाम	
		पदनाम	

Naya Raipur, the 1st June 2016

NOTIFICATION

No. 629/F 8-70/35/16 .– In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (No. 27 of 2009) and with the approval of the Central Government, the State Government, hereby, make the following rules relating to check post and quarantine camp inspection process, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh State Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals (Check Post and Quarantine Camp Inspection Process) Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (No. 27 of 2009);

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "Government" means Government of Chhattisgarh.

(2) Words and expressions used herein but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively as assigned to them in the Act.

3. **Manner of inspection and period of detention at a Check Post or at Quarantine Camp.-** (1) In order to ascertain whether an animal is infected with any of the notified Scheduled Diseases, the animal stopped at the Check Post or detained in the Quarantine Camp shall be inspected under the following heads by the officer-in-charge of the Check Post or Quarantine Camp, namely: –

(a) movement and gait;

(b) dull, depressed, normal or excited behaviour;

(c) increase in body temperature;

(d) ulcer in the mouth, feet or udder;

(e) excessive lacrimation, nasal or vaginal discharge;

(f) sweating and shivering;

(g) dryness of the skin, alopecia, skin rashes;

(h) weakness;

(i) bleeding through natural openings;

(j) oedema or swelling in dewlap region or any other part of the body.

(2) The officer-in-charge of the Check Post or Quarantine Camp shall collect necessary samples for laboratory examination, if required.

(3) The officer-in-charge of the Check Post may detain animals for the purpose of inspection, compulsory vaccination and identification /marking etc. for a period not exceeding 12 hours. For every animal vaccinated at the check post, a vaccination certificate shall be given to the animal owner in accordance with Section 9 of the Act.

(4) After examination of the animals, the officer-in-charge shall either allow entry of the animals to the notified Controlled Area or Free Area by issuing an Entry Permit under Form A, as appended to these Rules, or transport such animals to the Quarantine Camp.

(5) If after inspection, the officer-in-charge of the check post finds that any animal is suffering from any Scheduled disease, such animal shall be detained and the concerned institution shall be treated as Quarantine Camp for further action.

(6) In a Quarantine Camp, Maximum quarantine period shall not exceed 14 days.

(7) The cost of examining, vaccinating and ear-tagging the animals or of any other activity at the Check Post or at Quarantine Camp shall be fixed by the Director, from time to time, and shall be borne by the animal owner.

4. **Powers of the officer-in-charge of the Quarantine Camp to grant permits.-** (1) The officer-in-charge of the Quarantine Camp shall detain such animals, who,-

(i) are suffering from any notified Scheduled Disease;

(ii) have come in contact with or have been kept in proximity of any animal infected with a notified Scheduled Disease.

(2) The officer-in-charge of the Quarantine Camp shall give an official acknowledgement of the animals so detained to the animal owner, issued under Form B, as appended to these rules.

(3) During quarantine, the animals shall be ear-tagged bearing a unique number. Such animals shall be examined regularly for symptoms of any Scheduled Disease. They shall be vaccinated against the Scheduled Disease and be provided with veterinary treatment, if required. On vaccination, the animal owner shall be provided with a vaccination certificate in accordance with Section 9 of the Act.

(4) The cost of maintenance and vaccination of the animals during quarantine shall be fixed by the Director, from time to time, and borne by the animal owner.

(5) After successful quarantine, the officer-in-charge of the Quarantine Camp shall release the animals to the animal owner and issue under his signature, a Quarantine Release Permit under Form C, as appended to these rules, which shall also serve as Entry Permit as required under sub-section (2) of Section 15 of the Act.

5. **Responsibilities of the animal owner-** (1) During detention of the animals or birds in the check post or quarantine camp, the animal owner shall co-operate with the authority in vaccination, treatment and maintenance of the animals and shall be responsible for the care of their animals as per the Veterinary suggestions given.

(2) The vaccination, treatment and maintenance cost of the animals during detention in the check post or quarantine camp shall be borne by the animal owner.

6. **Funds-** (1) The fund provided by the government shall be utilized for the implementation of rules and management of quarantine camp as per the instructions of the Government.

(2) The money received from the owner of the animals as charges for maintenance, vaccination, ear tagging along with identification mark or any other identification method, etc. will be deposited in the revenue receipt head of the State Government.

7. **Jurisdiction-** If any doubt or question of interpretation arises, in relation to these rules, the matter shall be referred to the Director of Animal Husbandry, Government of Chhattisgarh, whose decision thereon shall be final and binding.

8. **Repeal and Saving.-** All rules, corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANUP KUMAR SHRIVASTAVA, Secretary.

Form A

Department of Livestock Development
Government of Chhattisgarh

Entry Permit
[See rule 3 (4)]

Permit No.(Unique certificate number)..

All the animals described below are found free from ....(notified Scheduled Diseases name) and on this day .... granted entry / exit from/ to the..................................... (name of the area) controlled / eradicated area.

Details of Check post			
Location			
Animal owner details			
Name and address of animal owner			
Animals arrived from			
Animals destined for			
Animal details			
	Animal 1	Animal 2	Animal 3
Identification No.			
Species			
Breed			
Age			
Sex			
Colour			
Vaccination certificate No.			
Entry Permit issue details			
Date of Issue		Signature	
Place of issue		Name	
		Designation	

Form B

Department of Livestock Development
Government of Chhattisgarh

Quarantine Camp Custody Acknowledgement
[See rule 4 (2)]

Certificate No...

All the animals described below have been taken in my custody on this ....day of....................... for a period of 14 days, namely:-

Details of Quarantine Camp			
Location			
Animal owner details			
Name and address of animal owner			
Animals arrived from			
Animals destined for			
Animal details			
	Animal 1	Animal 2	Animal 3
Identification No.			
Species			
Breed			
Age			
Colour			
Sex			
Vaccination Certificate No.			
Quarantine Camp Custody Acknowledgement issue details			
Date of issue		Signature	
Place of issue		Name	
		Designation	

Form C

Department of Livestock Development
Government of Chhattisgarh

Quarantine Release Permit
[See Rule 4 (5)]

Permit No...
Quarantine Camp Custody Acknowledgment No.-...

All the animals described below are found free from....................... (name of notified scheduled disease) and on this day...........................(date) released from the Quarantine Camp and is granted entry/exit from/to the controlled/eradicated area.

Details of Quarantine Camp			
Location			
Quarantine of animals from		Quarantine of animals to	
Animal owner details			
Name and address of animal owner			
Animals arrived from			
Animals destined for			
Animal details			
	Animal 1	Animal 2	Animal 3
Identification No.			
Species			
Breed			
Age			
Colour			
Sex			
Vaccination Certificate No.			
Quarantine Release Permit issue details			
Date of issue		Signature	
Place of issue		Name	
		Designation	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.

<u>संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें छत्तीसगढ़</u>

इन्द्रावती भवन, ब्लाक–3 भूतल, नया रायपुर

फोन नं. 0771–2331393, 94, 95 फैक्स नं. 0771–2331392/95 ईमेल–dirvet.cg@nic.in

क्रमांक 5978 /PCICDA/1B /2016–17 रायपुर, दिनांक 09 अगस्त 2016

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
पशु चिकित्सा सेवायें,
जिला——————————(छ0ग0)

विषय :– छत्तीसगढ़ राजपत्र प्रकाशित अधिसूचना छत्तीसगढ़ के पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण (चेक पोस्ट एवं संगरोध कैम्प मे निरीक्षण प्रकिया) नियम 2016 अंतर्गत, नियमों के प्रकाशन की सूचना, तदारूप पालन सुनिश्चतीकरण बाबत्।

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना **''छत्तीसगढ़ के पशुओं में संकामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण (चेक पोस्ट एवं संगरोध कैम्प मे निरीक्षण प्रकिया) नियम 2016,''** दिनांक 1 जून 2016 का अवलोकन करें, जिसकी प्रति आपकी ओर भेजी जा रही है। प्रकाशन की तिथि से नियम 2016 प्रदेश मे लागू है। अतः अधिसूचना में निहित नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु आपके अधिनस्थ संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करें।

प्रवेश अनुज्ञा पत्र/ नियम 3 (4), संगरोध कैम्प अभिरक्षा पावती/ नियम 4 (2) एवं संघरोग निर्मुक्ति अनुज्ञा पत्र/ नियम 4 (5) का आवश्यकतानुसार मुद्रण कर (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनो में) प्रत्येक पशु चिकित्सालय/औषधालयों मे पर्याप्त मात्रा में भेजना सुनिश्चित करें। पशुओं के आगमन/ निर्गमन संबंधी प्रतिवेदन मासिक अंतराल में नियमित रूप से प्रतिवेदित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

संचालक
पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़

क्रमांक 5979 /PCICDA/1B /2016–17 रायपुर, दिनांक 09 अगस्त 2016

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (पशुधन विकास) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया–रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (पशुधन विकास) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया–रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला————————की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला————————की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. पंजीयक, छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. उपसंचालक, माता महामारी उन्मूलन योजना रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया–रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं अधिसूचना प्रारूप अनुसार अन्य विभागाध्यक्षों एवं विभागो को उक्त अधिसूचना की प्रति शासन स्तर पर तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशार्थ।
10. डॉ0एम.पी.सरसिहा/डॉ0श्रीमति रोहणी पाठक/डॉ0नीतु गौरडिया/डॉ0राजू गाइड प.चि.स.श. संचालनालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. शाखा प्रभारी, I.T. संचालनालय की ओर सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट मे अपलोड करने हेतु निर्देशार्थ।

संचालक
पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़